ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-4* July-2020
Anthology : The Research

पंचायत समिति में महिलाओं की सहभागिता

Participation of Women in Panchayat Samiti

Paper Submission: 14/07/2020, Date of Acceptance: 24/07/2020, Date of Publication: 25/07/2020

तेज कुमार
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान भारत

सारांश

पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिलाओं को अपनी मूल्य व दायित्वों को वहन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित समझे जाने वाले लोगों की नाराजगी का शिकार हो रही है क्योंकि महिलाओं की प्रभावी भूमिका जो सहन करने की शक्ति अभी पुरुष प्रधान समाज में नहीं आ पाई है अतः संपूर्ण समाज के मूल्यों व मानसिकता में बदलाव ही महिला की भूमिका को प्रभावित एवं सक्रिय बना पाएगा पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका तो सरकार ने प्रदान की है लेकिन उसकी क्रियात्मक के आयाम संदिग्ध हैं

पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों को कई सामाजिक व प्रशासनिक दिक्कतों से जूझना पड़ता है आमतौर पर महिलाओं की सक्षमता को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं मगर इस संदर्भ में महिला प्रतिनिधि कमजोर नहीं है ऐसी महिला है जो कामकाज और विकास की योजनाओं का बेहतर ढंग से संचालन करती है वस्तुत महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम होना एक सबसे बड़ी बांधा है तथा जागरूकता की कमी भी है इस कारण बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वह नहीं जानती उनमें जागरूकता की जरूरत है हालांकि महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि वह परिवार गांव समाज तथा देश का नेतृत्व कर सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा मेहनती तथा चीजों को सही तरह से समझने की इच्छा शक्ति होती है पंचायती राज के संदर्भ में जन सहभागिता के प्रश्न प्रशनमहिलाओं की भूमिका को आज भी संशय की दृष्टि से देखा जाता है यह सन से इसलिए भी है कि वह एक सनातन सत्य की तरह पुरुष वर्ग के समक्ष लगभग हर युग में शोषण की वस्तु ही समझी गई है इसकी वजह पुरुष की अपेक्षा उनमें भावुकता का प्रतिशत अधिक रहा है।

In the Panchayati Raj system, elected women are facing many difficulties in carrying their values and responsibilities. The villagers, who are considered rich and respected in the village, are getting angry because the effective role of women who have the power to bear now The man has not been able to come in the dominant society, so only the change in values and mindset of the entire society will be able to influence and activate the role of women, the role of women in the panchayat system has been provided by the government but its functional dimensions are doubtful.

Women representatives in Panchayats have to contend with many social and administrative problems. Generally, many questions are raised about the competence of women, but in this context, the woman representative is not weak. There is a woman who handles the functioning and development plans better. In fact, the low level of education in women is one of the biggest binds and there is also lack of awareness due to this, they do not know what is happening in the outside world, they need awareness, however women have proved that that family, village society and Can lead the country, hardworking than men and has the will power to understand things properly Question of public participation in the context of Panchayati Raj The role of women is still seen with skepticism even today. Like an eternal truth, it has been considered as an object of exploitation in almost every era in front of the male class due to which the percentage of sentiment in them is more than the male.

मुख्य शब्द : पंचायती राज्य, महिलाएं, भूमिका, प्रतिष्ठा, मानसिकता, क्षमता, विकास योजनाएं,जागरूकता, राजनीति।

Panchayati State, Women, Role, Reputation, Mindset, Capacity, Development Plans, Awareness, Politics.

प्रस्तावना

पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है लोकतंत्र मूलतः विकेंद्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं अतीत काल से चली आ रही है फिर भी स्थानीय संस्थाओं का व्यवस्थित आरंभ 19 की शताब्दी माना जाता है इन संस्थाओं के विकास के अंकुर विद्वानों मानव वन की प्रकृ ति में निहित माने हैं पंचायतेंजिन्हें ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की सबसे लोकप्रिय इकाई माना जाता है बहुत पुरानी संस्थाएं हैं जो अतीत में अपने आप में स्थानीय शासन की समर्थ इकाइयां हुआ करती थीछोटा सा राज्य था और इसने भारत की जनता को एकता के सूत्र में बहुत अच्छी तरह आबद्ध कर रखा था मानव मन की यही इच्छा अतीत काल से स्थानीय संस्थाओं के विकास का अंतर्निहित दर्शन रही है स्थानीय स्वशासन की इकाइयां सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करती हैं पंचायत स्वशासन का आधार है जिसके अभाव में स्थानीय स्वशासन की कल्पना करना भी असंभव है स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं।

प्रत्येक गांव में उसी गांव के ग्राम सदस्यों की पंचायतें होती हैं जो सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करती हैं न्याय करते समय समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है अपने आदर्श स्वरूप एवं निष्पक्ष कार्य विधि के कारण लोकप्रिय व्यवस्था बन गई है।

शासन की ऊपरी सतहों पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होता जब तक की निचले स्तर पर लोकतंत्र मान्यताएं एवं मूल शक्तिशाली नहीं हो लोकतांत्रिक राजनीतिक था में पंचायती राज यही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य के दरवाजे तक लाता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सब चिंतन धारा ग्रामोन्मुखी थी उनकी मान्यता थी कि भारत के अभीष्ट राज्य एवं आर्थिक समाज की रचना का चित्र है की नीव ग्राम पंचायतों है।

अध्ययन क्षेत्र

भारत–पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे जिला से 70 किलोमीटर दक्षिण तथा बीकानेर से 170 किलोमीटर उत्तर में कुछ पूर्व की तरफ बसा है यहां एक किला भी है महाराजा सूरत सिंह ने बनवाया था तो इसका नाम सूरतगढ़ रखा सूरतगढ़ कस्बा एक और रेगिस्तान से घिरा हुआ है तथा दूसरी ओर घग्घर नदी सिंचित अत्यंत उपजाऊ जन्म से सरोबार है जहां एक और राजस्थान का पहला ताप विद्युत संयंत्र वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर से उपजाऊ क्षेत्र है ।लहराती फसलें कस्बे का हरित आभा भी बिखेरती हैं।

सूरतगढ़ का प्राचीन नाम सोढल गढ़ था जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था।

समस्या अभिकथन

1. पंचायतों के कार्य व उनका तीनों स्तर पर बंटवारा ।
2. प्रशासनिक समस्या।
3. वित्तीय समस्या।
4. समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव।
5. पंचायतों पर राज सरकार और नौकरशाही का नियंत्रण।
6. शासकीय अधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों में सहयोग का अभाव।
7. पंचायत सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों की पूर्ण जानकारी का अभाव।
8. दलदल राजनीति एवं आपसी देष भावना
9. राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता की समस्या
10. उचित निर्देशन का अभाव।
11. राष्ट्रीय चरित्र का अभाव।
12. विभिन्न समितियों के प्रति उदासीनता।
13. मतदाताओं की उदासीनता और क्षीण सहभागिता।

शोध की विधि

इस शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए सुधार थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची विधि प्रयोग में ली गई है ।

इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है जिन्हें साक्षात्कार कर्ता सूचना दाता से पूछ कर भरता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अध्ययन का उद्देश्य यह है कि वास्तव में पंचायत समिति में महिलाओं की सहभागिता सुदृढ़ हुई अथवा नहीं।
2. ग्रामीण जनता की विकास कार्यों में सहभागिता निश्चित हुई या नहीं।
3. जनप्रतिनिधियों में आपसी सामने हुआ अथवा नहीं।
4. ग्राम सभा को सशक्त बनाना।
5. आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता।
6. राज्य सरकार का सीमित नियंत्रण ।
7. घूंघट पर्दा प्रथा सती प्रथा बाल विवाह मृत्यु भोज आदि को रोकना।

परिकल्पनाएं

1. क्या जिला परिषद द्वारा कार्यों की रूपरेखा या विस्तारण पंचायत समिति के द्वारा ही किया जाता है।
2. ग्राम व जिला परिषद के मध्य पुल का काम करना है।
3. पंचायत समिति प्रोढ़ और अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जो कि उत्तम समाज निर्माण का कार्य है।
4. पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देकर सरकार ने दूर दृष्टि का परिचय दिया।
5. गांवो में व्याप्त कुरीतियां दूर करने के प्रति सभी इच्छुक और प्रयत्नशील है।
6. सूरतगढ़ पंचायत समिति में महिलाओं की सहभागिता को आंकड़ों के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाएगा।
7. सूरतगढ़ मे संख्या में महिलाओं की संख्या बढ़ी है या घटी है इन पर गहन शोध कार्य किया जाएगा।
8. महिलाओं की सहभागिता से आये सामाजिक परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया जायेगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचायती राज्य संख्या में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने से उनकी राजनीतिक सहभागिता में निसंदेह विस्तार हुआ है, किंतु राजनीति में उनकी प्रभावी एवं सार्थकभूमिका में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उन समाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारकों में भी परिवर्तन के लिए समानांतर प्रयास किए जाएं परंपरागत रूप से महिलाओं की स्वतंत्र एवं सशक्त भूमिका को बाधित करते रहें है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *राजस्थान पंचायती राजअधिनियम1994(राजकीय मुद्रणालय, जयपुर)*
2. *पंचायत संदेश, हिंदी मासिक नई दिल्ली जनवरी 1989*
3. *महात्मा गांधी–पंचायत राज, जनजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद 1959*
4. *तिवाड़ी चौधरी एवं चौधरी, राजस्थान में पंचायत कानून, ऋचा प्रकाशन 1995 जयपुर*
5. *एस आर माहेश्वरी , भारत में स्थानीय शासन लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा।*
6. *अय्यर मणिशकर, पंचायती राज्य के 15 वे वर्ष चार्टर शास्त्री भवन, नई दिल्ली*
7. *रविंद्र शर्मा, विलेज पंचायतस इन राजस्थान आलेख पब्लिशर्स,1974*
8. *शर्मा एस के द स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया सोनिया पब्लिकेशन पाटियाला 2008*
9. *महात्मा गांधी, ग्राम स्वराज, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद 1963*
10. *गर्ग राजकुमार पंचायती राज और पंचायतीराज संस्थाएं सौरभ पब्लिकेशन चंडीगढ़ 2007*